

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 12(16) राज/वाद/08 पार्ट-7

जयपुर दिनांक: 28/02/2023

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष।

::आदेश::

वर्तमान में राज्य में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसको मध्येनजर रखते हुए समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके न्यायालय प्रकरणों में विभाग की ओर से नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार/विभाग की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत करने एवं पैरवी करवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि राजकीय पक्ष विपरीत रूप से प्रभावित न हो।


आज्ञा से,

-sd-

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
3. प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


28/2/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि